

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1813 / 2019 दिनांक 13 .09.2019

श्री रवि प्रकाश बाकोलिया (RJ1003), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला, जोधपुर) को दिनांक 16.09.2019 से 30.09.2019 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिनांक 15.09.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री बाकोलिया की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला, जोधपुर) के पद पर ही होने की संभावना है ।

आजा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/166/2015/ 8713

दिनांक : 13 .09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 2305 दिनांक 09.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रवि प्रकाश बाकोलिया (RJ1003), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला, जोधपुर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला, जोधपुर) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर।

  
13.9.2019  
सहायक रजिस्ट्रार